



2026:AHC-LKO:15814-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी सं.- 2124/2026

राहुल कुमार शुक्ला

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ के माध्यम से, और 6 अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : शिवम श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., मनीष निगम

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. श्री मनीष निगम, विद्वान अधिवक्ता ने विरोधी पक्ष सं. 6 की ओर से अपना 'वकालतनामा' दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों के लिए प्रार्थना की है:

"i. परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विरोधी पक्षगण विशेष रूप से अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पयागपुर को यह आदेश दिया जाए कि वे स्टेशन अवरुद्ध मार्ग पर मुन्ना पान भंडार के पास से लेकर याचिकाकर्ता के घर तक स्थित सार्वजनिक मार्ग से गंदे जल के जमाव को तत्काल हटाए, और एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर जल-निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

ii. एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें संबंधित अधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि वे विरोधी पक्ष सं. 7 के विरुद्ध, सार्वजनिक मार्ग पर गंदा घरेलू जल बहाकर अवरोध और उपद्रव उत्पन्न करने के लिए, उचित विधिक कार्रवाई करें।

iii. परमादेश की प्रकृति की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी की जाए, जिसमें सक्षम प्राधिकारी को यह आदेश दिया जाए कि वे उन संबंधित सरकारी अधिकारियों/नगरपालिका कर्मचारियों के विरुद्ध उचित विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें, जो याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में लापरवाही बरतने, जान-बूझकर निष्क्रिय रहने और झूठी या भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दोषी पाए गए हैं, और न्याय के हित में, एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर विधि के अनुसार कार्रवाई करें।"

4. मार्ग पर जलभराव हो गया है, जिससे निवासियों को असुविधा हो रही है और क्षेत्र की स्वच्छता भी प्रभावित हो रही है।

5. नगर पंचायत के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि जल की निकासी के लिए 'नाली' के निर्माण की रूपरेखा योजना आदि तैयार कर लिया गया है, लेकिन, बजट प्रतीक्षित है, जिसके लिए यह मामला नगर पंचायत समिति की अगली बैठक में रखा जा रहा है।

6. तदनुसार, हम इस रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ करते हैं कि नगर पंचायत इस मामले को नगर पंचायत समिति की अगली बैठक में रखे, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 86 के अनुसार, यह बैठक प्रत्येक माह कम से कम एक बार होनी आवश्यक है।

7. हम नगर पंचायत के अध्यक्ष को निर्देश देते हैं कि वे इस संबंध में ज़रूरी कार्रवाई करें। यदि छह हफ्तों के भीतर बजट स्वीकृत होने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता इस न्यायालय में पुनः आ सकता है।

8. जब भी बजट स्वीकृत हो जाएगा, नगर पंचायत द्वारा कार्य को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से करवाया जाएगा, अर्थात् अगले दो माह के भीतर।

26 फरवरी 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।